	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 10, शुक्रवार, शाके 1947- जनवरी 30, 2026 Magha 10, Friday, Saka 1947- January 30, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 22, 2026

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 4(1)

संख्या प. ( )/सा.नि.वि./2025: राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50) राज-6/2016/02 दिनांक .... के निर्देशानुसार **राजस्थान राज्य में नसीराबाद-सरवाड़-केकरी-देवली रोड (एसएच-26) के लिए 2 लेन से 4 लेन तक के उन्नयन और निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्श** के निर्माण किये जाने के प्रयोजन से जिला अजमेर एवं भीलवाड़ा के प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1.	अजमेर	सरवाड़	अजगरी
2.	अजमेर	सरवाड़	डौराई
3.	अजमेर	सरवाड़	बावडी
4.	अजमेर	सरवाड़	फतहगढ
5.	अजमेर	सरवाड़	मरोगला
6.	अजमेर	सरवाड़	सापून्दा
7.	अजमेर	केकड़ी	केकड़ी
8.	अजमेर	केकड़ी	सरसड़ी
9.	अजमेर	केकड़ी	नायकी
10.	अजमेर	केकड़ी	उगाई
11.	अजमेर	केकड़ी	नाईखेड़ा
12.	अजमेर	केकड़ी	कोहड़ा
13.	अजमेर	केकड़ी	नीमोद
14.	अजमेर	केकड़ी	पारा

15.	अजमेर	केकड़ी	मीणोकानयागाँव
16.	अजमेर	केकड़ी	काली तलाई का खेड़ा
17.	अजमेर	केकड़ी	उन्दरी
18.	अजमेर	केकड़ी	गुलगांव
19.	अजमेर	सावर	सदारा
20.	अजमेर	सावर	भांड़ावास
21.	अजमेर	सावर	राजपुरा
22.	अजमेर	सावर	मोड़ी
23.	अजमेर	सावर	उँकारपुरा
24.	अजमेर	सावर	सदारी
25.	अजमेर	सावर	सावर
26.	अजमेर	सावर	जसवन्तपुरा
27.	अजमेर	सावर	घटियाली
28.	अजमेर	सावर	रायनगर
29.	अजमेर	सावर	नीमेडा
30.	अजमेर	सावर	बाढ़ का झौपड़ा
31.	अजमेर	सावर	गिरवरपुरा
32.	अजमेर	सावर	कालाखेत
33.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	धुंवाला
34.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	मुन्शीपुरा
35.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	बारलापोलिया
36.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	ऊंचा
37.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	अम्बेडकर कोलोनी
38.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	हनुमान नगर
39.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	कुचलवाड़ा कला

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **'पायनियर इन्फ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान'** एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3.
4. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
6.
7. सामाजिक समाघात मूंल्याकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
8.
9. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व संपूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

Note:- यह गांव की सूची नसीराबाद से केकड़ी तक मौजूदा संरेखण तथा सरवाड़ बाईपास को विचार करते हुए बनार्यी गयी है और केकड़ी से देओली तक विभाग द्वारा संरेखण अनुमोदन करने पर बनार्यी गयी है|

सम्पर्क सूत्र :-

1. श्री अरविंद सिंह (9079398209) (पुनर्वास विशेषज्ञ)

कार्यालय :-

पायनियर इन्फ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
बी-256, गोपालपुरा बाईपास रोड, 10-बी स्कीम,
विश्वेश्वरैया नगर, अर्जुन नगर,
जयपुर, राजस्थान 302018
फोन नं. - 0141-2761891
ई-मेल : pioneer.pcpl@gmail.com

आदेश द्वारा

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव, (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान सरकार।